

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 14 / 2 ई. व. ५
सेवा में,

दिनांक 3 / 04 / 2022

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर में जौलकाण्डे-शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन। (FPI/UK/ROAD/15461/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/4/2017/एफ0सी0/1462 दिनांक 29.11.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के अनुपालन आख्या

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.4708 है0 ग्राम-बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.4708 है0 ग्राम बदियाकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 27,14,513.00 मात्र (रू0 सताईस लाख चौदह हजार पाँच सौ तेरह मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR SBINR52021073135368623 DTD 31.07.2021 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.4708 है0 ग्राम बदियाकोट का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 276/छब्बीस-वन/2017-18 दिनांक 08.12.2017 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रांक-202/र0का0 /व0भू0ह0/2018 दिनांक 24.04.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR SBINR 52021073135368623 DTD 31.07.2021 द्वारा रू0 27,14,513.00 जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बढ़ता प्रमाण पत्र

	द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जायेगी।	संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3 / 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR SBINR 52021073135368623 DTD 31.07.2021 द्वारा रू० 27,14,513.00 जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।	
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं० 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt. will submit/upload revised NPV calculation sheet after applying correct density as mentioned in online Part-II	Action taken from your end please.
7	State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data about employment details at para-E online Part-I.	Employment details uploaded at para-E online Part-I.

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

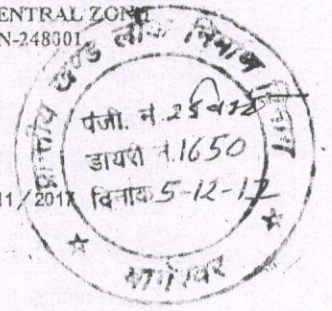
संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय
28.07.2022
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in



पत्र सं० 08वीं/यू०सी०पी०/०६/४/२०१७/एफ०सी० 1462

दिनांक 29/11/2017

दिनांक 5-12-17

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - बागेश्वर में जौलकांडे-शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 1304/X-4-16/1(396)/2016 दिनांक 20.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/15461/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-बागेश्वर में जौलकांडे-शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

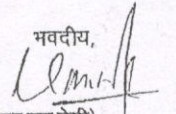
1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.4708 हे० ग्राम- बढियाकोट सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बढता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit/upload revised NPV calculation sheet after applying correct density as mentioned in online Part-II.
7. State Govt. will review the data given about employment likely to be generated and upload correct data about employment details at para-E online Part-I.

P.C. Attestat
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० ०१०१०
बागेश्वर

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.4708 हे० ग्राम- बढियाकोट सिविल एवं सोयम-भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे, आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे मिक्टवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कम से कम दृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 172 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

/

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या-301/र०का०/वन भू०ह०/2018 दिनांक 28 जून, 2018

02/FC

28.6.18

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्या 2363 दिनांक 28.6.18

विषय-

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत जौलकाण्डे-शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त 2.235 है० की दुगुनी अवनत भूमि 4.470 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या- 170/छब्बीस- 07 वन/2017-18 दिनांक 12/6/18 के अनुपालन में ग्राम बदियाकोट राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमायशी खेत नं० 4320 रकबा 7.313 है० मध्ये 2.413 है०, एवं खेत नम्बर 4321 रकबा 7.313 है० मध्ये 2.057 है० कुल 02 खेत रकबा 4.470 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दज्र कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :-

- (1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- (2) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

P.C. Attest

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० भू० वि०
बागेश्वर

तहसीलदार
कपकोट।

श्री. ज. वि. खेती 35/60

श्री. राजस्थान विधानसभा लक्ष्मी नगर जयपुर बागेश्वर

9(3) ख जंगल

नाम खेतीदार	फसल	खेत नं०	रकबा	संगत	विब. (श.)
90 जंगल		987	211		जिसे 500 महेदमा वगैरह के अन्तर्गत 1901 ईस्वी के 2017-18 दि. 12/06/18 के अन्तर्गत 2173/21811 (17/2018) (120) 2012 दि. 17 दि. 2012 एच उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र सं 08 श्री. सी. पी. 106/04/2017 दि. 04/04/18 दि. 29-11-2017 के श्री. सी. पी. के अधीन शासन-विधानसभा के श्री. ज. वि. न. ख. सं. 110 के पैमाने की खेत नं. 4320 रकबा 7.313 है मध्ये 2.445 है एवं नं. 4321 रकबा 7.313 है मध्ये 2.037 है कुल 2 खेत रकबा 4.490 है मेरी 9(3) जंगल के मुद्दे के तहत भूमि को अनियुक्त संपन्न बिना जोड़े हुए विधान के पत्र के तारीख 19/11/2017 दिनांक द्वारा रा. वि. अभियन्ता 22/06/18 P.C. Attestal सहस्यक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0मि0वि0 बागेश्वर
		988	229		
		9882	242111		
		9883	98811		
		9886	922		
		9880	22111		
		समस्त			
		समस्त			
		8397	24211		
		8398	999211=		
		8320	24211=		
		8329	24211=		
		8322	203=		
		8323	202=		
		समस्त			
		समस्त			
		8289	88=		
		8282	24111=		
		8283	3611		
		8284	441		
		8285	2911=		
		8286	22111		
		8287	8111=		
		8288	111=		
		8209	21-		
		8202	2		
		8203	3		
		8204	11=		
		8205	2-		
		समस्त	202	244893	

सत्यापित

तहसीलदार
तहसील कपकोट
23/6/18

श्री. राजस्थान विधानसभा लक्ष्मी नगर जयपुर बागेश्वर

आदेश

15/6/2018

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर के अंतर्गत जौलकाण्डे-शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.235 है० की दुगुनी अवनत भूमि 4.470 है० जो ग्राम बदियाकोट राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या -110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4320 रकवा 7.313 है० मध्ये 2.413 है० एवं खेत नम्बर 4321 रकवा 7.313 है० मध्ये 2.057 है० कुल 02 खेत रकवा 4.470 है० जो श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या-2173/XVIII(11)2012-18 (120)/2012 दिनांक 17दिसम्बर,2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 08 बी/यू०सी०पी०/०६/४/२०१७/एफ०सी०/१४६२ दिनांक 29.11.2017 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर ।

संख्या -170/ छब्बीस -०७वन /2017-18 दिनांक 12/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- उपजिलाधिकारी, कपकोट ।
- 3- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कपकोट।
- 4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/ नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

5333

12-1-2

15/6/2018

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

P.C. Attestal

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो००००००००
बागेश्वर

NORMAL HAND RECEIPT

VOC No 23

Bill Type : Normal

707211009

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - 1

(देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

Executive Engineer
Prov. Division P.W.D.
Bageshwarबागेश्वर
बागेश्वर

कब तक

1	0	3
8	9	0
1	1	7
0		

मुख्य लेखाशीर्षक -
उप मुख्य लेखा शीर्षक -
लघुशीर्षक -
उपशीर्षक -
व्यवहार शीर्षक -
वाउचर दिनांक

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

(9443) संचालन जमा
(00)--
(108) लोक निर्माण कार्य जमा
(01) डिपॉजिट वर्क (लोक निर्माण विभाग)
(00)

मत देय

8	4	4	3	0	0	1	0	8	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

अधिशाली अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर

4	2	2	7
---	---	---	---

अधिशाली अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर

14- सोर्स कोड : 0

15- सेक्टर कोड :

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

Connect अनुदान संख्या

प्रतिलिपि संलग्न करें)

Project : PR8900422707211000 NPV Payment for Utranchal Campa
Contract :

बजट की वर्तमान स्थिति			
आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट	
33142641	11776253	21366388	

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
-	27,14,513
66 देयक की सकल धनराशि: (अग्रिम समायोजन के बाद)	27,14,513

सहायक अभियंता
प्रांतीय खण्ड लो0मि0वि0
बागेश्वर

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	27,14,513
99 शुद्ध देय धनराशि: 66-77	

व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि रु०	अभ्युक्ति
-JUL-2021/	27,14,513	
जन के बाद	27,14,513	
	27,14,513	

इसमें प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद देयक प्रक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

Executive Engineer
Prov. Division P.W.D.
BageshwarExecutive Engineer
Prov. Division P.W.D.
Bageshwar

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

Twenty Seven Lacs Fourteen Thousand Five Hundred Thirteen Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
iciary						

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-07-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115461755
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/04/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	2714513/-

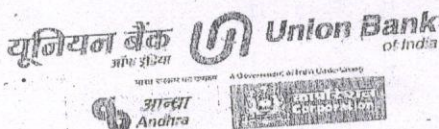
Amount in Words : Twenty-Seven Lakh Fourteen Thousand Five Hundred and Thirteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896115461755 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-07-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115461755
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/04/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	2714513/-

Amount in Words : Twenty-Seven Lakh Fourteen Thousand Five Hundred and Thirteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896115461755 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Executive Engineer
Prov. Division P.W.D.
Bageshwar

P.C. Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0मि0वि0
बागेश्वर

FORM 28 HAND RECEIPT

Pass for Rs 27,145/- advanced
graph 284, 290 and 304) miscellaneous payment and

is a simple form of voucher for all miscellaneous payment and

the special form 14, 25, 26 & 27 are suitable.

Voucher No. 23 Dated 12/7/2021 to Uttarakhand Comptroller

Cheque/Cash Rupees (27,145/-) to Bageshwar

by me CE P.D. P.O.D in charge

ED from the CE P.D. P.O.D Division the sum of Rs. 27,145/-

ision AEV

Name of Work purpose for which payment in made

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0वि0

बागेश्वर

27/1451350

27/1451350

27/1451350

27/1451350

27/1451350

27/1451350

27/1451350

27/1451350

27/1451350

27/1451350

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0वि0
बागेश्वर

Executive Engineer
Division P.D. P.O.D
Bageshwar

20

Signature of payee

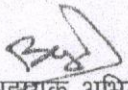
Pass, Bageshwar ① : 220059

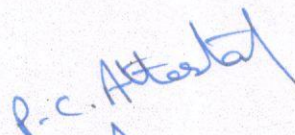
Size 16x26 50

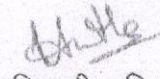
परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जौलकांडे-शीशाखानी
मोटर मार्ग का निर्माण।

एनपीवी की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में माओ उच्चतम न्यायालय/
भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की
बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।


सहस्यक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


सहस्यक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर


अधिसासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम:— जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में जौलकांडे—शीशाखानी
मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त
दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार
लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

P.C. Attestal
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिसासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

नोट— उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैक्स नं० : 05983-220249 फैक्स नं० 05983-220209



पत्रांक 2505 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 12 / 1 / 2023

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
बागेश्वर।

विषय - जनपद बागेश्वर में जौलकाण्डे-शीशाखानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.2354 हे० वन भूमि में अतिरिक्त एन०पी०वी० धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : - सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन०पी०वी० की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिसमें सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.11.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन०पी०वी०	2.2354 हे०	5	0.3	1005210.00	22,47,046.00	14,68,658.00	7,78,388.00
कुल योग						22,47,046.00	14,68,658.00	7,78,388.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

जो लकावे - प्रिशाखनी मेरु माग

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115461337
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/04/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	778388/-

Amount in Words : Seven Lakh Seventy-Eight Thousand Three Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896115461337 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6115461337
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/04/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	778388/-

Amount in Words : Seven Lakh Seventy-Eight Thousand Three Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896115461337 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D.
Bageshwar



23/03/23